

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-13

लखनउ दिनांक 13जुलाई, 2016

विषय- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(2) सपठित पहली अनुसूची के अन्तर्गत प्रतिकर कारक (गुणांक के सम्बन्ध में)।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ मुझे में यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 के उक्त भू.अर्जन अधिनियम की धारा 26 से 30 सपठित प्रथम अनुसूची में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के निर्धारण की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्राविधान है। पहली अनुसूची के क्रम संख्या-2 के सम्मुख दिये गये स्तम्भ (3) के अधीन राजस्व अनुभाग -13 की अधिसूचना संख्या 797/ एक-13-2014-5क(25)/2013 टी0सी0 दिनांक 22.10.2014 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए 2.00 (दो) को उस कारक के रूप में अधिसूचित किया गया जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।

2- कतिपय जनपदों से इस आशय के सन्दर्भ शासन को प्राप्त हुए कि उ० प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत परिभाषित 'अर्द्धनगरीय' क्षेत्र के भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए गुणांक क्या रखा जाय। शासन स्तर पर इस बिन्दु पर भी विचार किया गया कि क्या अर्द्धशहरी क्षेत्र हेतु 1.5 को गुणांक नियत किया जाय। इस सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-13 के परिपत्र संख्या मु०सं०-1/एक-13-2016-5क(25)/13टी0सी0 दिनांक 04-2-2016 द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि प्रतिकर निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्र होने पर गुणांक 1.00 होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र होने पर गुणांक 2.00 होगा 'अर्द्धशहरी' क्षेत्र हेतु पृथक से कोई गुणांक नहीं होगा।

3- उक्त के बाद भी कतिपय स्रोतों से यह जिज्ञासा की गयी कि ग्रामीण क्षेत्र किसे माना जाय और शहरी क्षेत्र किसे माना जाय। इस बिन्दु पर अधिनियम के अन्तर्गत विधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्वचन हेतु प्रकरण मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित किया गया। मा0 महाधिवक्ता महोदय से इस विषय में निम्नवत विधिक परामर्श शासन को प्राप्त हुआ:-

" The Act being silent with regard to definition of ' Urban Area ' and ' Rural Area ' the State Government can seek guidance from the provision of the Constitution under Article 243Q and declare that all areas where Nagar Panchayats, Nagar Palika Parisads & Nagar Nigams are constituted would be treated as urban area and remaining areas covered under part IX of the Constitution would be Rural areas"

4- मा0 महाधिवक्ता महोदय के उक्त विधिक निर्वचन/परामर्श के दृष्टिगत उ0प्र0 में भू-अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 243Q के अन्तर्गत गठित नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, एवं नगर निगमों की सीमा के क्षेत्रों को 'शहरी' तथा अवशेष क्षेत्र संविधान के अध्याय IX के अन्तर्गत "ग्रामीण क्षेत्र" माने जायेंगे।

कृपया अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-414(1)/एक-13-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनउ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 ।
- (3) निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनउ।
- (4) निदेशक (नियोजन), डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन विल्डिंग काम्प्लेक्स पंचम तल, नई दिल्ली।
- (5) गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

बीरबल सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।